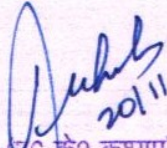


चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की भूमि सम्मिलित न होने सम्बन्धी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद एटा में राष्ट्रीय राजमार्ग- 91 (जी0टी0रोड) कि०मी० 186 से 229 तक 4 लेन के निर्माण हेतु 65.495 है० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। इसमें चिन्हित " वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।


(र० कै० कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा